## न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट (पीठासीन अधिकारी—अमनदीप सिंह छाबडा )

आप. प्रक. क.—392 / 2013 संस्थित दिनांक—10.05.2013 फा.नंबर—234503000842013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–मलाजखण्ड, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

– – –अभियोजन

/ / विरूद्ध //

1.रमेश कुमार उर्फ चड्ढा पिता कालीचरण मेश्राम, उम्र-38 वर्ष

2.श्रीमती कलाबाई पति कालीचरण मेश्राम, उम्र–53 वर्ष सभी निवासी भण्डारपुर थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— <u>आरोपीगण</u>

## 

01— आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 498ए, 506 के तहत् आरोप है कि उन्होंने दिनांक 14.04.2013 को समय 12:30 बजे ग्राम भंडारपुर थाना मलाजखंड में लोकस्थान पर फरियादी इंद्राबाई को क्षोभ कारित करने के आशय से अश्लील गालियाँ उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादिया के पति/सास होते हुये दहेज की मांग को लेकर उसके साथ दुर्व्यवहार कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार करते हुये फरियादिया इन्द्राबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्रीमती इन्द्राबाई ने थाना आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी शादी 11 साल पहले मंडारपुर में रमेश के साथ हुयी थी, जिससे उसके तीन बच्चे है। शादी के कुछ साल बाद पित रमेश परेशान कर मारपीट करता था और कहता था कि वह अपने भाई को रखकर उसी के साथ सोती है और ये उसी के बच्चे है। मायके में बच्चे क्यों रखे है तथा सास कलाबाई कहती थी कि वह वेश्या, छिनाल है, बदमाशन

फा.नंबर-234503000842013

है। एक साल पहले कुएं में पटक दिये थे और मारपीट किये थे। रमेश ने डण्डे से तथा कलाबाई ने झाडू से मारपीट की थी, जिससे चोटें आई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान गवाहों के कथन लिये गये, घटनास्थल का मौका—नक्शा तैयार किया गया, फरियादी/आहत का मुलाहिजा करवाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र 28/13 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 498ए, 506 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादिया ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—194, 506 धारा—498ए भा.द.वि. के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

## 04-प्रकरण के निराकरण हेत् निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू यह है कि:-

01. क्या आरोपीगण ने दिनांक 14.04.2013 को समय 12:30 बजे ग्राम भंडारपुर थाना मलाजखंड में फरियादी इंद्राबाई के पति/सास होते हुये दहेज की मांग को लेकर उसके साथ दुर्व्यवहार कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया ?

## सकारण निष्कर्ष:-

05— साक्षी इंदिराबाई अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है, जो उसका पित है। उसकी शादी आरोपी से वर्ष 2002 में हुई थी। उन दोनों के तीन बच्चे है। घटना वर्ष 2013 की है। घटना के समय पित—पितन का आपसी मौखिक विवाद हुआ था, जिसके बाद वह अपने घर चली गई थी। बाद में गांव समाज के लोगों के कहने पर उसने आरोपी की शिकायत थाना मलाजखंड में की थी, जो प्र.पी.09

<u>फा.नंबर—234503000842013</u> र है। पुलिस ने उसके बताये

है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका–नक्शा प्र.पी.10 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि शादी के कुछ माह बाद आरोपी उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान कर मारपीट करता था और उसे भला-बुरा कहता था, उसकी सास भी उसे भला-बुरा कहती थी, उसकी सास और उसके पति ने उसे जान से मारने के लिये कुएं में पटक दिये थे, घटना दिनांक 14.04.2013 को दिन के 12:00 बजे उसके पति तथा सास ने झाड़ से मारपीट की, जिससे उसकी कमर में चोट आई और आरोपीगण ने बाल पकडकर पटक दिया था, जिसे कोटवार भागचंद ने देखा-सुना था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.11 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से समझौता हो गया है, इसलिये आज न्यायालय में असत्य कथन कर रही हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय पति-पत्नि का मौखिक विवाद हुआ था, वर्तमान में वह अपने पति के पास सुखपूर्वक निवास कर रही है, उनका अब कोई विवाद नहीं है तथा उसकी सास उससे अलग रहती है, जिससे अब उसका कोई संबंध नहीं है।

06— साक्षी शिवचरण अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण एवं प्रार्थी इन्द्राबाई को जानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं। पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रार्थी इंद्राबाई उसकी लड़की है, प्रार्थी का विवाह आरोपी रमेश के साथ हुआ था, इंद्राबाई को आरोपी रमेश ने मारपीट किया था, जिसके कारण वह दूसरे के घर में रह रही थी और वहां से इंद्राबाई ने फोन करके उसे बतायी थी, उक्त सूचना पर वह अपनी पित्त कांताबाई के साथ जाकर अपनी बेटी इंद्राबाई को लेकर आये थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि इन्द्राबाई ने पूछने पर यह बतायी थी कि उसके साथ डंडे और झाडू से मारकर घर से निकाल दिये थे, प्रार्थी को आरोपीगण के द्वारा मारपीट करने पर उसके शरीर पर चोट आई थी,

उसने पुलिस को प्रपी.03 का कथन दिया था, उसका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है, इस कारण घटना की सही जानकारी नहीं दे रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार कि प्रार्थी ने उसे कभी नहीं बताई कि दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हैं, प्रार्थी और आरोपीगण के झगड़े के बाद से अच्छे संबंध है और आना—जाना चल रहा है।

- 07— साक्षी भागचंद अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। वह प्रार्थिया इंदिराबाई को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब एक—दो साल पूर्व शाम के समय की है। प्रार्थिया इंदिराबाई के साथ उसके पति एवं सास ने मारपीट की थी। आरोपी कलाबाई ने प्रार्थिया इंदिराबाई को बेशरम की लकड़ी से मारपीट की थी। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी रमेश एवं कलावतीबाई से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी, किन्तु जप्ती पत्रक पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार की थी, जो प्र.पी.04 एवं प्र.पी. 05 है, जिसके कमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 08— साक्षी भागचंद अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे घटना का दिन, तारीख, महीना व साल याद नहीं है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि इंदिराबाई के साथ उसका पित रमेश एवं सास कलावतीबाई दोनों ने इस बात को लेकर मारपीट किये थे कि इंदिराबाई अपने भाई के साथ जाकर सोती है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि कलाबाई ने इंदिराबाई को झाड़ू से मारपीट की थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि रमेश ने इंदिराबाई को लकड़ी से मारपीट किया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी रमेश ने इंदिराबाई को जान से मारने की धमकी दिया था, किन्तु यह अस्वीकार कि रमेश से उसके समक्ष पुलिस ने रमेश मेश्राम के घर भण्डारपुर से दिनांक 16.04.2013 को एक लकड़ी पुरानी दो हाथ करीबन, दो इंच मोटी जप्त की थी, जो जप्ती पत्रक प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि दिनांक 16.04.2013 को ही उक्त स्थान से आरोपी कलाबाई

से उसके समक्ष पुलिस ने एक झाडू खजूर की छोटी करीबन एक हाथ की नीली तोता रस्सी बंधी जप्त की थी, जो प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, उसके समक्ष प्र.पी.06 एवं 07 के अनुसार जप्ती हुई थी, तभी उसने उस पर हस्ताक्षर किया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.08 का ए से ए भाग पढ़कर सुनायें जाने पर उसने ऐसा कथन पुलिस को देने से इंकार किया। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह पढ़ना—लिखना नहीं जानता है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपी से मिलकर न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने मारपीट कर प्रताड़ित करते हुये उसने नहीं देखा था, उसने आरोपीगण के द्वारा प्रार्थिया को दहेज के लिये प्रताड़ित करते हुये उसने नहीं देखा था, उसने आरोपीगण के द्वारा प्रार्थिया को दहेज के लिये प्रताड़ित किये जाने संबंधी बात प्रार्थिया ने उसे नहीं बताई और ना ही उसने किसी अन्य से सुना था।

प्रकरण में एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी स्वयं परिवादी इंदिराबाई अ.सा.03 है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। साक्षी इंदिराबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका अपने पति से मौखिक विवाद हुआ था, वर्तमान में वह अपने पति के पास सुखपूर्वक निवास कर रही है, उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है तथा उसकी सास उससे अलग रहती है, जिससे उसका कोई संबंध नहीं है। अन्य साक्षीगण शिवचरण अ.सा.०1 तथा भागचंद अ.सा.०2 अनुश्रुत साक्षी है। परिवादी इंदिराबाई अ.सा.03 द्वारा व्यक्त किया गया है कि उसका अभियुक्तगण से समझौता हो चुका है और वह उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया इंदिराबाई के पति / सास होते हुये दहेज की मांग को लेकर उसके साथ दुर्व्यवहार कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया। अतः अभियुक्तगण रमेश कुमार उर्फ चड्ढा तथा श्रीमती कलाबाई को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए के

अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 10- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 11— प्रकरण में अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहे है। उक्त संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 12— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक पुरानी लकड़ी एवं एक खजूर की झाडू मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित किया। दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

